सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रेस नोट – 23 सितम्बर, 2014

1. सूलमउ क्षेत्र देश के सामाजार्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। सूलमउ क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8%, कुल निर्यात में 40% तथा विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार सूलमउ क्षेत्र के उद्यमों की कुल संख्या 361.76 लाख है जिनमें से 15.64 पंजीकृत उद्यम हैं। यह क्षेत्र 805.24 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

2. सूलमउ के संवर्धन एवं विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय तथा इसके संगठनों की भूमिका राज्यों की उद्यमिता, रोजगार तथा आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रयासों से पूरा करना तथा बदलते आर्थिक परिदृश्य में सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग और कयर बोर्ड जो मंत्रालय के अधीन दो सांविधिक निकाय हैं, को खादी, ग्रामोद्योग कयर उद्योग की वृद्धि और विकास के समाधान के लिए विशेष रूप से शासनादेश प्राप्त है। यह मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (नोडल एजेंसी) और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है।

3. वे क्षेत्र जिनमें यह मंत्रालय सूलमउ क्षेत्र (खादी, ग्रामोद्योग और कयर उद्योग सहित) को सहायता प्रदान करता है उनमें (i) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण का पर्याप्त प्रवाह; (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए सहायता; (iii) एकीकृत अवसंरचना सुविधाएं; (iv) आधुनिक परीक्षण सुविधा एवं गुणवत्ता प्रमाणन; (v) आधुनिक प्रबंधन पद्धति के लिए पहुँच; (vi) उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास तथा कौशल उन्नयन; (vii) उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता तथा पैकेजिंग के लिए सहायता; (viii)

कारीगरों तथा कार्मिकों के कल्याण; (ix) घरेलू और निर्यात बाजारों तक बेहतर पहुँच के लिए सहायता और (x) क्षमता निर्माण को संवर्धित करने तथा इकाइयों के सशक्तीकरण के लिए क्लस्टर वार उपाय करना शामिल हैं।

4. <u>उपलब्धियां</u>

सूलमउ क्षेत्र की निर्दिष्ट प्रकृति और इसकी व्यापक पहुँच के लिए मंत्रालय ने हाल के महीनों में स्टेकहोल्डरों के साथ सक्रिय कार्य और दक्षता बढ़ाने एवं इसके विकास कार्यक्रमों की पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में कुछ किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं:

4.1 सार्वजनिक पहुँच (आउटरीच): मंत्रालय ने फेसबुक और ट्विटर पर आपसी संवाद अंतरापृष्ठ खोले हैं। हम मंत्रालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की सामान्य वेबसाइटों के अतिरिक्त, इन सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि फेसबुक में 70% अनुयायी 18 से 34 आयु समूह के हैं। मंत्रालय में उद्यमी हेल्पलाइन (निःशुल्क संख्याः 1-800-6763) भी स्थापित की गई है।

4.2 स्टेकहोल्डरों के साथ आपसी संवादः मंत्रालय ने जुलाई, 2014 के दौरान 80 से अधिक उद्योग संघों के साथ विस्तृत आपसी संवाद किए। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सूलमउ मंत्रियों और सचिवों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त, 2014 में आयोजित किया गया। स्टेकहोल्डर से सूलमउ नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों के संबंध में तथा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर सुझाव संकलित कर लिए गए हैं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से शुरू कर दी गई है। खादी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी और संधारणीय बनाने के लिए खादी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और खादी सुधारों पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ आपसी संवाद जून, 2014 और जुलाई, 2014 में किया गया।

4.3 समर्थनः हमने राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा भागीदार उद्योग संघों के बीच व्यापर, बेहतर संप्रेषण करने के लिए आसान प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के विजन को संसूचित किया है।

राज्य स्तर पर सूलमउ का ऑनलाइन पंजीकरण और गुणवत्ता सुधार तथा ''शून्य दोष और शून्य प्रभाव'' के उद्देश्य के साथ उत्पादकता।

4.3 ई-गवर्नेंसः मंत्रालय ने निम्नलिखित पहल शुरू की हैं :

- वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल www.msmecluster.in पर उपलब्ध कराया गया है। यह सामान्य आवेदन फॉर्म, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स इत्यादि और उद्योग एकेडमिया विभिन्न लिंकेज के लिए एक मंच जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। अभी तक 86 डोमेन विशेषज्ञ, 125 शैक्षणिक संस्थानों और 18341 सूलमउ उद्यम शुरू किए गए हैं।
- निसबड द्वारा स्थापित एक रोजगार सुविधा पोर्टल का शुभारंभ माननीय मंत्री (सूलमउ) द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को किया गया है। यह रोजगार प्रदाताओं और रोजगार इच्छुकों के बीच तालमेल स्थापित करता है। अभी तक 10134 रोजगार के इच्छुक युवाओं और 179 नियोक्ताओं को पंजीकृत किया गया है।
- माननीय मंत्री (सूलमउ) ने दिनांक 31 जुलाई, 2014 को एनएसआईसी के बी 2 सी वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से सूलमउ उत्पादों का विपणन होगा और विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण और मशीनों की आपूर्ति इत्यादि में सहायता मिलेगी।
- मंत्रालय में कागज रहित कार्यालय तैयार करने के लिए ई-ऑफिस की पहल लागू की गई है। ई-फाइल संचलन शुरू किया गया है और वर्तमान कागजी फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में परिवर्तित करने के लिए डिजिटलीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।
- सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता मानक अपना लिया गया है और प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा 4-6 सप्ताह में प्रमाणन प्राप्त होने की आशा है।
- मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली 20 अगस्त, 2014 से शुरू की गई है जिसके फलस्वरूप समय की पाबन्दी सुनिश्चित हुई है। आधार आधारित उपस्थिति मॉनीटरिंग प्रणाली डेटवाई के परामर्श से तैयार की जा रही है।
- ईएम-I और ईएम-II फाइल करने हेतु एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किए जाने के लिए तैयार है। हाल ही में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग को अपनाए जाने के लिए एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई। डाटाबेस सूलमउ की निर्णय सहायता प्रणाली एवं योजना बनाने के लिए साझा किया जाएगा।

- इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के सभी फॉर्म और दिशानिर्देश वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में स्कीमों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन लागू किए गए हैं और मंत्रालय की सभी स्कीमों को धीरे-धीरे कवर करेगा।

4.4 नए कार्यक्रमः मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया और उन्हें शुरू किया :

(i) पुनरूद्धारित तथा उन्नयनित स्फूर्तिः परंपरागत और ग्रामोद्योग के लिए हमने विशेषज्ञ निविष्टियों से बेहतर एवं अधिक गहन कवरेज प्राप्त करने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि की चालू स्कीम (स्फूर्ति) को काफी बढ़ाया है।

(ii) सीमावर्ती, पर्वतीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 100 खादी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए विशेष अवयव योजना 76 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत की गई है।

(iii) कयर उद्योग के पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन (रिमोट स्कीम) का कयर क्षेत्र के ऋण संबद्ध उद्यमिता संवर्धन से पुनरूद्धार किया गया है।

(iv) जिला केंद्रों में सूलमउ का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए सॉफ्टवेयर और वैधीकरण की जाँच की गई है। इसे दो महीनों में सभी राज्यों में चलाया जाएगा।

(v) सैमसंग के साथ, निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी सहित रोजगार संबद्ध कौशल विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया। समान मॉडल्स को पीपीपी पद्धति से दूसरों के साथ प्रारंभ किया जाएगा।

4.5 कार्यक्रम कार्यान्वयनः पिछले वर्षों की तुलना में कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली के सक्रिय प्रयोग से पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में प्रक्रिया किए गए आवेदनों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। उसी प्रकार संवितरण में भी भारी वृद्धि हुई है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के लिए हमारे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया गया है और वर्तमान वर्ष में अभी तक

1,24,000 युवा इससे लाभान्वित हुए हैं। आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा करना लागू किए जाने से सात स्कीमों का सरलीकरण हो गया है। ये प्रयास आने वाले महीनों में जारी रहेंगे।

5. बजट घोषणाएंः बजट में की गई घोषणाओं का जोश के साथ अनुसरण किया जा रहा है।

5.1 हमें सूचित किया गया है कि सूलमउ के लिए उद्यम पूँजी कोष को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में कमी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में वित्तपोषण प्राप्त होगा यह मंत्रालय इस कोष के प्रचालन हेतु एक कार्य ढांचा स्थापित करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ सघन रूप से काम करता आ रहा है जिसकी हमें अक्तूबर, 2014 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।

5.2 हमने सूलमउ के लिए वित्तीय संरचना पर समिति के गठन के लिए वित्त मंत्रालय से भी प्रस्ताव किया है।

5.3 युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना और उनको उद्योग के लिए तैयार करना हमारे मंत्रालय का शासनादेश है। हम जिला इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करते रहेंगे जो उद्यमिता विकास के लिए एकीकृत सहायता प्रदान कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करेंगे। इस मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों नामतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ प्रौद्योगिकी केन्द्र नेटवर्क, नवप्रर्वतन, उद्यमिता और कृषि उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपये की स्कीम चालू करने के लिए विस्तृत परामर्श भी किया है। इस संबंध में एक स्कीम को अक्तूबर, 2014 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

5.4 सूलमउ की परिभाषा में परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव को सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

****